प्रेषक,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश

सेवा में,

जिलाधिकारी,
(संलग्न सूची के अनुसार 39 जनपद)
उत्तर प्रदेश ।

पत्रांक :: 182 /वि0का0/2011–12 लखनऊ :: दिनांक :: 30 मार्च–2012

विषय **वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष एस.सी.एस.पी. मद अनुदान संख्या–83 से सम्बन्धित मैचिंग राज्यांश की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

शासनादेश सं0–109/26–ब0प्र0/2012–58एसजीएसवाई/10टीसी, दिनांक 29–03–2012 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा स्वर्ण ज़यन्ती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011–12 में अनुदान संख्या–83 एससीएसपी मद के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अवमुक्त की गयी केन्द्राश की धनराशि के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश के रूप में रू0 1370.395 लाख (रू0 तेरह करोड़ सत्तर लाख उन्तालिस हजार पाँच सौ मात्र) की धनराशि जनपदों को आवंटित करने हेतु आयुक्त, ग्राम्य विकास के निस्तारण पर रखी गयी है।

2. शासन द्वारा स्वीकृत उक्त धनराशि रू0 1370.395 लाख (रू0 तेरह करोड़ सत्तर लाख उन्तालिस हजार पाँच सौ मात्र) भारत सरकार द्वारा जनपदों को अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश के रूप में संलग्न विवरण के कालम 3 के अनुसार आपको इस प्रतिबन्ध के साथ आबंटित की जा रही है कि धनराशि का आहरण भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश की सीमा तक ही किया जायेगा।

3. स्वीकृत धनराशि का आहरण केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित परिव्यय की सीमान्तर्गत ही किया जायेगा।

4. उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय के पूर्व योजनान्तर्गत पूर्व में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया जायेगा। कोषागार से उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी , जितनी धनराशि दिनांक 31 मार्च, 2012 तक व्यय की जा सके।

5. धनराशि के आहरण एवं व्यय में संलग्न शासनादेश में निर्धारित शर्तो का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6. आवंटित धनराशि में से वांछित धनराशि हेतु मुख्य विकास अधिकारी द्वारा औचित्यपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर मॉग की गयी धनराशि मुख्य विकास अधिकारी को अवमुक्त की जायेगी। राज्यांश का आवंटन योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष मैचिंग अंश की सीमा तक ही किया जायेगा। धनराशि के आहरण में वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाय एवं धनराशि का व्यय एस0जी0एस0वाई0 योजना के अन्तर्गत भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप ही किया जाये। धनराशि के आहरण एवं वितरण के लिए सम्बन्धित जिलों के आहरण वितरण अधिकारी पूर्णतया जिम्मेदार होंगे। यदि कभी भी वित्तीय नियमों का उल्लंघन होता है तो उसकी सूचना आयुक्त, ग्राम्य विकास एवं उ0प्र0 शासन को भेजी जाय।

7. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–83 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक–"2501–ग्राम्य विकास के लिए विशेष कार्यक्रम–01–समेकित ग्राम्य विकास कार्यक्रम–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं–0101–स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (जिला योजना) (के075/रा025–रा0) –27–सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

8. योजनान्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में एससीएसपी मद अनुदान संख्या–83 में आपके जनपद को अब तक आवंटित की गयी धनराशि का प्रगामी योग संलग्न विवरण के कालम–4 में दर्शाया गया है।

9. जारी किये गये आदेशों की प्रतियॉ भारत सरकार, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम) उ0प्र0 इलाहाबाद,, वित्त विभाग, नियोजन विभाग, ग्राम्य विकास अनुभाग–6 तथा इस कार्यालय एवं अन्य सम्बन्धित को पृष्ठांकित की जाय।

10. केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष राज्यांश की अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रेषित करते हुये इसकी एक प्रति इस कार्यालय को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

11. उक्त आवंटन की प्रविष्टि केन्द्रीय रजिस्टर (आयोजनागत) के पृष्ठ सं0 189 पर कर ली गई है।

भवदीय,

<u>संलग्नक– उपरोक्तानुसार</u>

(अनुराग श्रीवास्तव)
आयुक्त
ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक :: 182 /वि0का0/2011–12 तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. सम्बन्धित संयुक्त विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. सम्बन्धित जनपदों के मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. सम्बन्धित जनपदों के परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश।
8. वित्त (व्यय– नियंत्रण) अनुभाग–2/वित्त(आय व्ययक) अनुभाग–2।
9. राज्य योजना आयोग–1/2 उ0प्र0 शासन।
10. संयुक्त सचिव बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन को उनके पत्र सं0–109/26–ब0प्र0/2012–58एसजीएसवाई/10टीसी, दिनांक 29–03–2012 के संदर्भ में।
11. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
12. सम्बन्धित जनपदों के कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
13. उप सचिव (एस0जी0एस0वाई0), भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।

(महेश कुमार अग्निहोत्री)
अपर आयुक्त(लेखा)
ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक : 184/वि0का0/2011–12 दिनांक : 30 मार्च, 2012 का संलग्नक

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत वर्ष 2011–12 के लिए अनुदान सं0–83
एससीएसपी मद में राज्यांश की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0सं0	जनपद	अवमुक्त की जा रही धनराशि	प्रगामी योग
1	2	3	4
1	MEERUT	6.43	20.100
2	GHAZIABAD	6.11	16.990
3	BULANDSHR	11.91	29.873
4	BAGPAT	3.94	14.102
5	MORADABAD	7.52	40.872
6	BIJNOR	19.98	59.103
7	RAMPUR	27.76	85.423
8	J B F NAGAR	18.78	62.103
9	BAREILLY	5.64	55.950
10	AGRA	20.93	75.120
11	FIROZABAD	13.57	27.140
12	MATHURA	13.91	44.280
13	ALIGARH	19.08	59.633
14	ETAH	12.87	46.190
15	K.RAM NAGAR	11.91	40.100
16	LALITPUR	18.16	73.910
17	HAMIRPUR	25.33	54.723
18	PRATAPGARH	84.81	129.320
19	KANPUR DEHAT	36.89	100.052
20	ETAWAH	34.19	71.203
21	KANNAUJ	24.73	76.422
22	ORRIYA	7.28	40.100
23	GHAZIPUR	70.75	249.082
24	SANT R. NAGAR	3.06	43.300
25	SITAPUR	114.63	229.270
26	LAKHIMPUR KHERI	104.42	211.662
27	GORAKHPUR	60.32	185.540
28	DEORIA	43.11	175.470
29	MAHRAJGANJ	38.69	77.370
30	BASTI	54.61	135.690
31	SIDHART NAGAR	44.90	94.700
32	MAU	38.29	116.742
33	BALLIA	33.58	114.010
34	FAIZABAD	13.01	59.290
35	BARABANKI	103.375	286.445
36	GONDA	51.23	203.260
37	BAHRAICH	112.39	277.013
38	BALRAMPUR	21.05	81.662
39	SHRAVASTI	31.25	97.002
State Total ::		1370.395	

(रू0 तेरह करोड़ सत्तर लाख उन्तालिस हजार पांच सौ मात्र)

(महेश कुमार अग्निहोत्री)
अपर आयुक्त(लेखा)
ग्राम्य विकास, उ0प्र0।

संख्या—109/26—ब.प्र./2012—58एसजीएसवाई/10टीसी

प्रेषक,

बी0बी0 सिंह
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0 लखनऊ।

बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग लखनऊः दिनांकः 29 मार्च, 2012

विषयः—वित्तीय वर्ष 2011—12 में स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष एस.सी.एस.पी.मद अनुदान संख्या—83 से संबंधित मैचिंग राज्यांश की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक—111/वि0का0/2011—12 दिनांक 23 फरवरी, 2012 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2011—12 में स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत अवमुक्त केन्द्रांश रू0 27358.48 लाख के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश की कुल धनराशि रू0 9119.493—6378.70लाख अर्थात् रू0 2740.793 लाख का 50 प्रतिशत रू0 1370.395 लाख मैचिंग राज्यांश की धनराशि अनुदान संख्या—83 के अन्तर्गत आपके निस्तारण पर रखे जाने की श्रीराज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :—

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय के पूर्व योजनान्तर्गत पूर्व में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया जाएगा। कोषागार से उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी धनराशि दिनांक 31 मार्च, 2012 तक व्यय की जा सके।

(2) स्वीकृत धनराशि का आहरण केन्द्रांश के सापेक्ष ही किया जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि का आहरण केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित परिव्यय की सीमान्तर्गत ही किया जायेगा ।

(4) धनराशि के आहरण में वित्तीय नियमों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा एवं धनराशि का व्यय स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप ही किया जायेगा। धनराशि के आहरण व वितरण के लिये सम्बन्धित जनपदों के वरिष्ठ लेखा अधिकारी, वित्त नियंत्रक व लेखाधिकारी यथास्थिति पूर्णतया जिम्मेदार होंगे। यदि कभी भी वित्तीय नियमों का उल्लंघन होता है, तो इसकी सूचना तत्काल आयुक्त ग्राम्य विकास उ.प्र., लखनऊ को प्राप्त करायी जायेगी।

(5) अवमुक्त की जा रही धनराशि में से, प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश की धनराशि जनपदों को उपलब्ध करायी जायेगी , जिससे जिलाधिकारी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष राज्यांश अवमुक्त

कर सकें। धनराशि का आहरण जनपदों द्वारा निर्धारित परिव्यय की सीमा के भीतर ही किया जायेगा।

(6) केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाये, जिससे भारत सरकार द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष में धनराशि की कटौती न की जा सके। वर्ष के अन्त में अप्रयुक्त धनराशि 31 मार्च, 2012 को समर्पित कर दी जायेगी।

(7) यह धनराशि /व्यय करने से पूर्व आयुक्त ग्राम्य विकास द्वारा यह सुनिश्चत करलिया जाये कि एस.सी.एस.पी हेतु भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा निर्देशों का अनुपालन किया गया है।

(8) आयुक्त ग्राम्य विकास द्वारा वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–901/दस–2011–231/2011 दिनॉक 21–03–2011में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(9) धनराशि का आहरण दो किश्तों में किया जाएगा। प्रथम किश्त का 75 प्रतिशत व्यय होने के पश्चात दूसरी किश्त आहरित की जाएगी।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक कें अनुदान संख्या–83 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2501–ग्राम विकास के लियें विशेष कार्यकम–01–समेकित ग्राम विकास कार्यकम–आयोजनागत–789–अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें–01–स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (जिला योजना) (कें.75/रा.25–रा)–27–सब्सिडी" के नामे डाला जाएगा ।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–ई–3– 397 /दस–2012 दिनॉक–28 मार्च, 2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(बी0बी0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या–109 (1)/26–ब.प्र.–2012– 58एसजीएसवाई/2010टी.सी. तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकर (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ.प्र. इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. निदेशक समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियॉ एवं पंचायतें, नवॉ तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

6. समस्तमण्डलायुक्त / जिलाधिकारी / कोषाधिकारी / मुख्यविकास अधिकारी, उ0प्र0 प्रदेश।

7. अपर आयुक्त, लेखा, ग्राम विकास, जवाहर भवन, लखनऊ।

8. वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–3 / वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 / 2

9. राज्य योजना आयोग–1 / 2, नियोजन अनुभाग–3 / ग्राम्य विकास अनु0–3

10. गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(बी0बी0 सिंह)
संयुक्त सचिव।